

टिप्पणी (क्रमिक)

22.1.18

पत्रावली पेश हुई। वकील वकील उप. आये। विद्वान  
अधिवक्ता वकील ने न्यायालय से जरिये NO-  
instruction वाद को आगे नहीं चलाने के लिए  
मिशन किया। विद्वान अधिवक्ता वकील के  
मिशन को स्वीकार किया जाता है। वकील का वाद  
जरिये NO instruction जारी किया जाता है।  
पत्रावली फंसल धुआर से नम्बर से न्याय की जाकर  
दाखिल दफ्तर हो सुनाया गया।

22.1.18

उपखण्ड अधिकारी  
बल्लभ (राज.)

No instruction  
Plead

Ammy

22-1-18

